न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पहाडी (भरतपुर)

पीठासीन अधिकारी संजय गोयल आर0ए0एस

मुकदमा नं0 373/2010

1. फजरी पुत्री रहीम खां पत्नी बदलू जाति मेव निवासी ग्राम विजासना तहसील पहाडी (भरतपुर) हाल निवासी जैतलका तहसील फिरोजपुर झिरका हरियाणा।
2. मौजवी पुत्री रहीम खां पत्नी हसन जाति मेव निवासी ग्राम विजासना तहसील पहाडी हाल निवासी बडेड तहसील फिरोजपुर झिरका हरियाणा

वादनीगण

बनाम

1. रूजदार पुत्र जुम्मा (मृत्तक)
   1/1 महकी पत्नी रूजदार
   1/2 हनीफ पुत्र रूजदार
   1/3 रहीस पुत्र रूजदार जाति मेव निवासी ग्राम विजासना तहसील पहाडी
   1/4 सईदन पुत्री रूजदार पत्नी हनीफ
   1/5 बस्कर पुत्री रूजदार पत्नी रफीक जाति मेव निवासी ग्राम बडेड तहसील पुन्हाना हरियाणा
   1/6 रहीसन पुत्री रूजदार पत्नी शहीद
   1/7 रहीसन पुत्री रूजदार पत्नी रेशम जाति मेव निवासी ग्राम नई तहसील पुन्हाना हरियाणा
   1/8 बसमीना पुत्री रूजदार पत्नी तैयब जाति मेव निवासी खडखडी तहसील ताबडू हरियाणा
   1/9 सबरी पुत्री रूजदार पत्नी नामालूम जाति मेव निवासी ग्राम सिंगार तहसील पुन्हाना हरियाणा
2. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार पहाडी (भरतपुर)

प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88,89, 53,188 आर0टी0 एक्ट

उपस्थित :– श्री यशपाल सैनी वकील वादनीगण
श्री बृजलाल शर्मा वकील प्रतिवादीगण

दिनांक :–01/10/2021

निर्णय

उप खण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)

Scanned with OKEN Scanner

वादनीगण द्वारा यह दावा अन्तर्गत धारा 88,89, 53, 188 आर0टी0 एक्ट के तहत इस आशय का पेश किया कि आराजी खसरा नम्बर 41/0.53, 87/0.43, 88/0.43, 146/0.67, 168/0.30, 188/0.23, 266 मिन/मिन 1/0.49, 275/65/0.36, 279/78/0.06, किता 9 रकबा 3.50 हैक्टर बांके ग्राम विजासना तहसील पहाडी में स्थित है पक्षकारान एक ही परिवार के सदस्य है आराजी मुतदाविया पूर्व में वादनीगण के पिता रहीम खा व प्रतिवादी संख्या 1 के पिता जुम्मा के संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी थी जिसमें रहीम खां व जुम्मे खां निस्फ–निस्फ हिस्से से सहखातेदार थे वादनीगण के पिता की अरसा करीब 43 साल पूर्व मृत्यु हो गई थी मृत्यु के बाद वादनीगण की माता हसनवी व वादनीगण तीनों अपने मृतक पति व पिता के निस्फ हिस्से की आराजी पर प्रतिवादी नं0 1 के पिता जुम्मा के साथ संयुक्त रूप से वाहैसियत वारिस काश्त करती रही । वादनीगण की माता हसनवी के देहान्त हो जाने के बाद वादनीगण की अपने पिता के निस्फ हिस्से की आराजी काबिज रहकर काश्त करती रही है तथा प्रतिवादी संख्या 1 के पिता जुम्मा का भी देहान्त हो चुका है जुम्मा की मृत्यु के बाद प्रतिवादी नं0 1 के साथ आराजी मुतदाविया के निस्फ हिस्से पर सम्मलित रूप से काश्त करती रही है और अपने हिस्से की फसल को वदस्तूर लेती रही है प्रतिवादीगण ने दिनांक 02/01/2009 को वादनीगण से यह ऐलानिया कहा है कि वह वादनीगण को फसल नहीं लेने देगा क्योकि आराजी सालिम मुझ प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज है जिस पर वादनीगण राजस्व रिकॉर्ड में तहसील पहाडी जाकर नकले प्राप्त की तब यह जानकारी हुई कि वादनीगण के पिता की मृत्यु के बाद प्रतिवादी संख्या 1 के पिता जुम्मा ने सही तथ्यों को छिपाते हुये रहीम खां की आराजी का विरासतन का दाखिल खारिज अपने नाम गलत रूप से दर्ज करा लिया जिसका इन्तकाल नम्बर 105 है। रहीम खां की मृत्यु के बाद उसके जायज वारिस उसकी पत्नी व वादनीगण मौजूद थी जो रहीम खां की मृत्यु के बाद उसके निस्फ हिस्से की आराजी पर वाहैसियत वारिस काबिज हुई। रहीम खां की पत्नी व पुत्रियों के रहते हुये रहीम खां की आराजी का विरासतन का दाखिल खारिज जुम्मा के नाम दर्ज करवाने का कोई अधिकार नहीं था। इसलिए दाखिल खारिज संख्या 105 वादनीगण के खिलाफ प्रभावहीन व शून्य है। उक्त दाखिल खारिज के आधार पर जुम्मा के नाम रहीम खां के हिस्से की आराजी का दाखिल खारिज दर्ज होने व जुम्मा की मृत्यु के बाद प्रतिवादी संख्या 1 के नाम सम्पूर्ण आराजी का अंकन होने से वादनीगण के हितों पर कुठाराघात हो रहा है इसलिए वादनीगण अपने आपको आराजी मुतदाविया के 1/2 हिस्से पर खातेदार काश्तकार घोषित कराकर आराजी के निस्फ हिस्से से प्रतिवादी नं0 1 का नाम कलमजन कराकर प्रतिवादी संख्या 1 के साथ निस्फ हिस्से पर खातेदार काश्तकार दर्ज करा पाने की अधिकारणी है। विनाय मुखासमत प्रथम दिनांक 02/01/2009 को प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा

उप खण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)

Scanned with OKEN Scanner

धमकी देने से व दोयम दिनांक 06/01/2009 को राजस्व रिकॉर्ड की नकले प्राप्त करने पर गलत इन्द्राज का इल्म होने पर बांके ग्राम विजासना तहसील पहाडी अन्दर हदूद अदालत हाजा पैदा हुई । अतः दावा वादनीगण पेश कर निवेदन है कि वादनीगण को आराजी मुतनाजा वर्णित मद संख्या 2 वाद पत्र के निस्फ हिस्से पर वाहैसियत खातेदार काश्तकार काबिज रहकर काश्त करती चली आ रही है और जो इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड में सम्पूर्ण आराजी की बाबत प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज हो रहा है वह कतई खिलाफ कानून व मौका कब्जा है और वादनीगण 1/2 हिस्से से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम को कलमजन करा पाने क अधिकारणी है तथा 1/2 हिस्से की बाबत राजस्व रिकॉर्ड में अपने आपको खातेदार काश्तकार दर्ज करा पाने की अधिकारणी है।

दावा वादनीगण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण जरिये वकील न्यायालय में उपस्थित आये जबाब इस आशय का पेश किया कि दावा में दर्ज आराजी मजकूर को पहले मुझ प्रतिवादी का पिता वाहिद रूप से जोतता बोता व काश्त करता चला आ रहा था और उसके गूजर जाने के बाद प्रतिवादी आराजी पर वाहैसियत खातेदार काश्तकार काबिज रहकर काश्त करता चला आ रहा हूँ तथा मौके पर आज भी मुझ प्रतिवादी का कब्जा व काश्त है । आराजी मुतदाविया का राजं लगान भी प्रतिवादी ही अदा करता चला आ रहा है । वादनीगण का आराजी से कभी कोई सम्बन्ध किसी प्रकार का नहीं रहा है महज यह दावा प्रतिवादी को नाजायज रूप से तंग व परेशान करने के उद्देश्य से झूठे व मनगढन्त तथ्यों के आधार पर पेश किया है जो काबिले खारिज के है। वादनीगण का प्रतिवादी की आराजी से किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध कभी नहीं रहा है और ना ही आज है । वादनीगण इस गलत व झूठे तथ्यों के आधार पर प्रतिवादी की आराजी को हडपना चाहते है जिसका वादनी गण को कोई अधिकार नहीं है। अतः जबाब दावा पेश कर निवेदन है कि दावा वादनी खारिज फरमाया जावें।

दावा एवं जबाब दावा के आधार पर निम्न तनकियात कायम की गई ।

<u>तनकी संख्या 1 :–</u> आया आराजी मुतदाविया पूर्व में वादनीगण के पिता रहीम खां व प्रतिवादी नं0 1 के पिता जुम्मा के संयुक्त खातेदारी की आराजी थी।

.....वादनीगण

<u>तनकी संख्या 2 :–</u> आया वादनीगण आराजी मुतदाविया के 1/2 हिस्सा पर खातेदार काश्तकार घोषित कराकर निस्फ हिस्सा से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम को कलमंजन कराकर राजस्व रिकॉर्ड में 1/2 हिस्सा पर खातेदार काश्तकार दर्ज करा पाने की अधिकारणी है।

.....वादनीगण

उप खण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)

तनकी संख्या 3 :– आया वादनीगण वाद खातेदारी निस्फ हिस्सा की बावत अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी आराजी का विभाजन कसाकर राजस्व रिकॉर्ड में पृथक–पृथक खाता कायम करा पाने की अधिकारणी है।

.....वादनीगण

तनकी संख्या 4 :– आया वादनीगण प्रतिवादीगण को जरिये डिक्री हुक्म इम्तनाई दवामी से पाबन्द करा पाने की अधिकारणी है।

.....वादनीगण

तनकी संख्या 5 :– आया रहीम खां की पत्नी का नाम बतूली था जिसने रहीम खां के मरने के बाद मुझ प्रतिवादी संख्या 1 के पिता जुम्मा से निकाह कर लिया था। इसलिए रहीम खां की विरासत का दाखिल खारिज संख्या 105 मुझ प्रतिवादी संख्या 1 के पिता जुम्मा के नाम फैसल हुआ।

.....प्रतिवादी

तनकी संख्या 6 :– आया राजस्थान सरकार को दफा 80 जा0दी0 का नोटिस नहीं दिया गया है। जिसके अभाव में दावा वादनीगण कतई मैनटेबिल नहीं है।

.....प्रतिवादी

7 :–दादरसी ।

दावा में उपरोक्त तनकीयात कायम की जाकर पत्रावली साक्ष्य वादनीगण में नियत की गई। साक्ष्य वादनीगण में पी0डब्लू0 1 फजरी, पी0डब्लू0 2 सिताब, पी0डब्लू0 3 सकरू के शपथ पत्र पेश किये। अन्य साक्ष्य पेश न होने पर साक्ष्य वादनीगण बन्द किये गये। साक्ष्य प्रतिवादी में डी0डब्लू0 1 हनीफ, डी0डब्लू0 2 फरीदा, डी0डब्लू0 3 छुटमल, का शपथ पत्र पेश किया अन्य कोई साक्ष्य पेश न होने पर साक्ष्य प्रतिवादी बन्द किये गये।

वादनीगण ने अपने दावा के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में नकल दाखिल संख्या 105, असल पासपोर्ट फजरी, नकल जमाबन्दी सम्वत 2021 से 2024, 2058 से 2061 पेश किये। प्रतिवादी ने दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में नकल मृत्यु प्रमाण पत्र रूजदार, पेश किया ।

बहस वकील फरीकेन की बहस सुनी । दौराने बहस वकील वादनी ने कथन किया कि विवादित आराजी वादनी के पिता रहीम खाँ एवं प्रतिवादी के पिता जुम्मा खाँ की संयुक्त आराजी थी । परंन्तु वादनी के पिता की मृत्यु के पश्चात प्रतिवादी के पिता द्वारा राजस्व कार्मिको से साज कर आराजी का अकेले स्वयं के नाम दाखिल खारिज संख्या 105 दर्ज करा लिया है। अतः वादनी को 1/2 हिस्से का खातेदार घोषित किया जावे। वादनी रहीम खाँ की पुत्री है इस संबंध में भारत सरकार द्वारा जारी पासपोर्ट संलग्न है।

उप खण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)

Scanned with OKEN Scanner

दौराने बहस वकील प्रतिवादी ने कथन किया कि वादनी का विवादित आराजी से कोई संबंध सरोकार नहीं है। वादनी का विवादित आराजी पर कोई कब्जा नहीं है। रहीम खां की पत्नी का नाम बतूली था। रहीम खां की मृत्यु के पश्चात बतूली प्रतिवादीगण के पिता जुम्मा के यहाँ खानदांज हो गई थी। वादनी ने दावा में कथन किया है कि पहले रहीम खां की मृत्यु हुई थी एवं उसके बाद उनकी माता हसनवी का देहांत हुआ है। जबकि साक्ष्य पी0डब्लू0 1 फजरी में वादनी ने स्वयं कथन किया है कि मेरे पिता की मृत्यु जब में 15 वर्ष की थी तब हुई है एवं माता की मृत्यु जब में 2–3 वर्ष की थी तब हुई है। वादनी के दावा के कथन एवं साक्ष्य दोनो विरोधाभासी है। नामांतरण संख्या 105 में स्पष्ट टिप्पणी की हुई है कि " जुम्मा बल्द मामला ने आकर जाहिर किया है कि मेरा भाई रहीम खां ला बल्द बिला औरत फौत हो गया है। जिसकी औरत मेरे खानन्दाज हो गई है।" अतः वादनी का नामांतरण दर्ज होने के समय से ही कोई हक नहीं है। वादनी द्वारा कोई स्वतन्त्र गवाह भी प्रस्तुत नहीं किया है। वादनी रहीम खां की पुत्री है इसके संबंध में वादनी द्वारा केवल विदेश मंत्रालय द्वारा जारी पासपोर्ट प्रस्तुत किया है। जिसमें उनके पिता का नाम रहीम खां दर्ज हैं। जो कि आवेदन में दर्ज नाम के आधार पर ही जारी है। वादनी द्वारा जन्म प्रमाण पत्र इत्यादि भी प्रस्तुत नहीं किया है । केवल पासपोर्ट के आधार पर वादनी को रहीम खां का वारिस नहीं माना जा सकता है।

वादनी संख्या 2 मौजवी ने स्वयं न्यायालय में उपस्थित होकर दिनांक 14/05/2010 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 23 नियम 01 जा0दी0 इस आशय का प्रस्तुत किया है कि मुझ प्रार्थीया एवं फजरी ने न्यायालय में दावा पेश कर रखा है । उस जमीन से हम वादनीगण का एवं हमारे पिता रहीम खां का कभी कोई संबंध नहीं रहा है। परन्तु हमने गांव के व्यक्तियों के बहकावे में आकर गलत दावा पेश कर दिया है। प्रतिवादीगण का शांति पूर्वक कब्जा है । प्रतिवादीगण की खातेदारी पर कोई ऐतराज नहीं है।

अतः वादनी दावा को सिद्ध करने में असफल रही है। अतः दावा वादनी खारिज किया जावें।

हमनें बहस पर मनन किया, पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। तनकीबार विवेचन निम्नानुसार है।

तनकी संख्या 1:– आया आराजी मुतदाविया पूर्व में वादनीगण के पिता रहीम खां व प्रतिवादी नं0 1 के पिता जुम्मा के संयुक्त खातेदारी की आराजी थी।

उक्त तनकी को सिद्ध करने का भार वादनी पर है। मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड विवादित आराजी रहीम खाँ एवं जुम्मा खाँ की संयुक्त आराजी थी। इस तथ्य पर कोई विवाद नहीं है। परन्तु विवादित आराजी के संबंध में वादनी रहीम खां की पुत्री है। इस संबंध में वादनी द्वारा कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया है। क्योंकि

उप खण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)

Scanned with OKEN Scanner

वादनी का विवादित आराजी से कोई संबंध सरोकार नहीं है। वादनी का विवादित आराजी पर कोई कब्जा नहीं है। रहीम खां की पत्नी का नाम बतूली था। रहीम खां की मृत्यु के पश्चात बतूली प्रतिवादीगण के पिता जुम्मा के यहाँ खानदांज हो गई थी। वादनी के दावा के कथन एवं साक्ष्य दोनो विरोधाभासी है। वादनी संख्या 2 मौजवी ने स्वयं न्यायालय में उपस्थित होकर दिनांक 14/05/2010 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 23 नियम 01 जा0दी0 पेश कर दावा वापसी किया है एवं कथन किया है कि जमीन से हम वादनीगण का एवं हमारे पिता रहीम खां का कभी कोई संबंध नहीं रहा है। परन्तु हमने गांव के व्यक्तियों के बहकावे में आकर गलत दावा पेश कर दिया है। प्रतिवादीगण का शांति पूर्वक कब्जा है। प्रतिवादीगण की खातेदारी पर कोई ऐतराज नहीं है। अतः उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि वादनी का आराजी में कोई हक नहीं है। वादनी इस तनकी को प्रमाणित करने में असफल रही है। अतः यह तनकी विरूद्व वादनी निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 2 :– आया वादनीगण आराजी मुतदाविया के 1/2 हिस्सा पर खातेदार काश्तकार घोषित कराकर निस्फ हिस्सा से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम को कलमजन कराकर राजस्व रिकॉर्ड में 1/2 हिस्सा पर खातेदार काश्तकार दर्ज करा पाने की अधिकारणी है।

उक्त तंनकी को सिद्व करने का भार वादनी पर है। तनकी सं0 1 के विवेचन से यह स्पष्ट हो चुका है कि वादनी का आराजी में कोई हक नहीं है। अतः वादनी आराजी मुतदाविया के 1/2 हिस्सा पर खातेदार काश्तकार घोषित कराकर निस्फ हिस्सा से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम को कलमजन कराकर राजस्व रिकॉर्ड में 1/2 हिस्सा पर खातेदार काश्तकार दर्ज करा पाने की अधिकारणी नहीं है। अतः यह तनकी भी विरूद्व वादनी निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 3 :– आया वादनीगण वाद खातेदारी निस्फ हिस्सा की बाबत अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी आराजी का विभाजन कराकर राजस्व रिकॉर्ड में पृथक–पृथक खाता कायम करा पाने की अधिकारणी है।

उक्त तनकी को सिद्व करने का भार वादनी पर है। तनकी सं0 1 के विवेचन से यह स्पष्ट हो चुका है कि वादनी का आराजी में कोई हक नहीं है। अतः वादनी वाद खातेदारी निस्फ हिस्सा की बाबत अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी आराजी का विभाजन कराकर राजस्व रिकॉर्ड में पृथक–पृथक खाता कायम करा पाने की अधिकारणी नहीं है। अतः यह तनकी भी विरूद्व वादनी निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 4 :– आया वादनीगण प्रतिवादीगण को जरिये डिक्री हुक्म इम्तनाई दवामी से पाबन्द करा पाने की अधिकारणी है।

उक्त तनकी को सिद्व करने का भार वादनी पर है। तनकी सं0 1 के विवेचन से यह स्पष्ट हो चुका है कि वादनी का आराजी में कोई हक नहीं है।

उप खण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)

Scanned with OKEN Scanner

अतः वादनी प्रतिवादीगण को जरिये डिक्री हुक्म इम्तनाई दवामी से पाबन्द करा पाने की अधिकारणी नहीं है। अतः यह तनकी भी विरूद्व वादनी निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 5 :– आया रहीम खां की पत्नी का नाम बतूली था जिसने रहीम खां के मरने के बाद मुझ प्रतिवादी संख्या 1 के पिता जुम्मा से निकाह कर लिया था। इसलिए रहीम खां की विरासत का दाखिल खारिज संख्या 105 मुझ प्रतिवादी संख्या 1 के पिता जुम्मा के नाम फैसल हुआ।

उक्त तनकी को सिद्व करने का भार प्रतिवादीगण पर है। प्रतिवादीगण द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया है। जिससे स्पष्ट होता हो कि रहीमखां की पत्नी का नाम बतूली था एवं उसने रहीमखां की मृत्यु के पश्चात् जुम्मा से निकाह कर लिया था। परन्तु साथ ही साथ वादनी द्वारा भी ऐसा कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया है। जिससे स्पष्ट होता हो कि रहीमखां की पत्नी का नाम बतूली नहीं था। परन्तु यहां यह निर्विवादित तथ्य है कि नामांतरण संख्या 105 में स्पष्ट टिप्पणी की हुई है कि " जुम्मा बल्द मामला ने आकर जाहिर किया है कि मेरा भाई रहीम खां ला बल्द बिला औरत फौत हो गया है। जिसकी औरत मेरे खानन्दाज हो गई है।" अतः उक्त टिप्पणी को वादनी द्वारा कभी भी नकारा नहीं गया हैं एवं ना ही नामांतरण संख्या 105 की कभी अपील की गई है। अतः उक्त तनकी आंशिक रूप से वहक प्रतिवादीगण निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 6 :– आया राजस्थान सरकार को दफा 80 जा0दी0 का नोटिस नहीं दिया गया है। जिसके अभाव में दावा वादनीगण कतई मैनटेबिल नहीं है।

उक्त तनकी को सिद्व करने का भार प्रतिवादीगण पर है। उक्त दावा वादनी द्वारा खातेदारीं अधिकार प्राप्त करने का किया गया है। जिसकी कोई मियाद नहीं है। दावा मुख्यतः प्रतिवादीगण के विरूद्व है। इसलिए दावा वादनी चलने योग्य था। अतः उक्त तनकी विरूद्व प्रतिवादीगण निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 1,2,3,4,5 प्रतिवादीगण के पक्ष में निर्णित हो गई है ऐसी स्थिति में दावा वादनी साक्ष्य के अभाव में काबिले खारिज है।

अतः आज्ञा है कि :–

दावा वादनी खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 01/10/2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(संजय गोयल)
उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर).

उप खण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)

Scanned with OKEN Scanner

डिगरी व मुकदमे इब्तदाई
(ओ0 20 रू0 6–7 जाप्ता दीवानी)
[Civil Procedure Code Appendix D-I]

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम पहाडी भरतपुर (राज0)
पीठासीन अधिकारी संजय गोयल आर0ए0एस

कदमा नं0 373/2010

1. फजरी पुत्री रहीम खां पत्नी बदलू जाति मेव निवासी ग्राम विजासना तहसील पहाडी (भरतपुर) हाल निवासी जैतलका तहसील फिरोजपुर झिरका हरियाणा।
2. मौजवी पुत्री रहीम खां पत्नी हसन जाति मेव निवासी ग्राम विजासना तहसील पहाडी हाल निवासी बडेड तहसील फिरोजपुर झिरका हरियाणा

वादनीगण

बनाम

1. रूजदार पुत्र जुम्मा (मृत्तक)
   1/1 महकी पत्नी रूजदार
   1/2 हनीफ पुत्र रूजदार
   1/3 रहीस पुत्र रूजदार जाति मेव निवासी ग्राम विजासना तहसील पहाडी
   1/4 सईदन पुत्री रूजदार पत्नी हनीफ
   1/5 बस्कर पुत्री रूजदार पत्नी रफीक जाति मेव निवासी ग्राम बडेड तहसील पुन्हाना हरियाणा
   1/6 रहीसन पुत्री रूजदार पत्नी शहीद
   1/7 रहीसन पुत्री रूजदार पत्नी रेशम जाति मेव निवासी ग्राम नई तहसील पुन्हाना हरियाणा
   1/8 बसमीना पुत्री रूजदार पत्नी तैयब जाति मेव निवासी खडखडी तहसील ताबडू हरियाणा
   1/9 सबरी पुत्री रूजदार पत्नी नामालूम जाति मेव निवासी ग्राम सिंगार तहसील पुन्हाना हरियाणा
2. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार पहाडी (भरतपुर)

प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88,89, 53,188 आर0टी0 एक्ट

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूवरू मुझ संजय गोयल आर0ए0एस0 .....व हाजिरी कील वादी मिनजानिब वकील प्रतिवादीगण मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि व डिगरी दी ाती है कि अतः आज्ञा है कि दावा वादनीगण खारिज किया जाता है।

आज ..... X ..... मुबलिग ..... X .....खर्चा इस मुकदमे के मय सूद व हर ..... X ..... को सर्दी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयावी ..... X .....तक दा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 01/10/. सन् 2021 को जारी की गई ।

दस्तखत .....
ओहदा .....
उप खण्ड अधिकारी

मुहर

मुद्दई		रूपया	पैसा	मुद्दालय		रूपया	पैसा
स्टाम्प अरजीदावा	.....	2.00		स्टाम्प अरजीदावा	.....		
स्टाम्प वकालतनामा	.....	1.00		स्टाम्प वकालतनामा	.....		
स्टाम्प वजह सबूत	.....	1.00		स्टाम्प वजह सबूत	.....		
महनताना वकील)पर	.....			महनताना वकील)पर	.....		
खर्चा गवाहान	.....			खर्चा गवाहान	.....		
फीस कमिश्नर	.....			फीस कमिश्नर	.....		
बबत इजराय हुक्मनामा	.....			बबत इजराय हुक्मनामा	.....		
मुतफर्रिक	.....			मुतफर्रिक	...		
मीजान	.....	4.00		मीजान	.....		

Scanned with OKEN Scanner